नम्बर व तारी
अहकाम जो इ
हुक्म की तामी
में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
1/2020	अपील	02.02.2020	15.11.2021

1. रामचरण पुत्र किशनलाल मीना, निवासी मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर।

2. पुखराज पुत्र किशनलाल मीना, निवासी मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर।

–अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तलावडा तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर

–रेस्पोन्डेण्ट

निर्णय **दिनांक:15.11.21**

1. यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा नायब तहसलीलदार, तलावडा उनवानी मुकदमा सरकार बनाम रामचरण , पुखराज, मुकदमा नं0 341/17 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बूचोलाई ने अपीलार्थीगण के द्वारा नाले की भूमि खसरा नम्बर 716 रकबा 0.10 हेक्टर ग्राम मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी पर अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर व सूचना दिए बिना अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में एकतरफा निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थीगण को 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के साथ बेदखली व लगान की 50 गुणा राशि अर्थात 43/रूपये के अर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है जिसके व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3. अपील मे आगे निवेदन किया है कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना अपीलार्थीगण को सुने दिया गया है जो न्यायिक सिद्धान्तों के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

विपरीत है तथा निरस्त होने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रकरण की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही थी क्योकि पटवारी हल्का ने कभी अपीलार्थीगण को इस सन्दर्भ में अवगत नही कराया कि अपीलार्थीगण द्वारा किसी सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही थी परन्तु अचानक दिनांक 14.01.2020 को पुलिस वाले अपीलार्थीगण के घर आए तथा कहा कि उप तहसील तलावडा से अपीलार्थीगण के गिरफ्तारी वारण्ट है, अपीलार्थीगण उस समय बाहर गए हुए थे , दूसरे दिन अपीलार्थीगण आए तो उन्हें इसकी जानकारी घर वालों ने दी। इस पर अपीलार्थीगण दिनांक 15.01.2020 को तुरन्त उपतहसील तलावडा गए तथा इस संबंध मे जानकारी की तो पता चला कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध खसरा नम्बर 716 रकबा 0.10 हेक्टर नाले की भूमि पर ग्राम मीनापाडा पर कब्जा करने का मुकदमा हैं जिसकी नकल हेतु प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलार्थीगण उसी दिन पेश किया व नकल उसी दिन प्राप्त की तब सर्वप्रथम अपीलार्थीगण को निर्णय की जानकारी हुई। इस पर अपीलार्थीगण अपने वकील से मिले तो उन्होने कहा कि अपील करने पडेगी तथा भूमि पर से अपना कब्जा छोडना पडेगा। इस अपीलार्थीगण ने कहा कि हमार भूमि पर कब्जा नही है। पटवारी से जानकारी करके यदि किसी सरकारी भूमि पर कब्जा है तो हम कब्जा छोड देगें। अपीलीर्थीगण कभी सरकारी भूमि पर कब्जा नही करना चाहते है। उक्त अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद पेश हैं। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से पेश किया गया है। अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को है। अन्य उजात बरवक्त बहस जुबानी अर्ज किए जावेगें।

4. अपीलार्थीगण ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर निर्णय नायब तहसलीदार, तलावडा दिनांक 14.09.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोन्डेण्ट जरिए नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलब की गई। रेस्पोन्डेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

6. बहस वकील अपीलार्थीगण सुनी गई। वकील अपीलार्थीगण ने एकपक्षीय बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थीगण का वर्तमान में कोंई अतिक्रमण नही है। उसने अतिक्रमण छोड दिया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

7. हमने अपील तथा मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। वकील अपीलार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।

8. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित मे स्वीकार करते है। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया। अपील अपीलार्थीगण इस शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयताओं को राजकोष में नियमानुसार जमा करवायेंगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार तलावडा को पेश करेगा कि वह भविष्य मे कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेंगा। नायब तहसीलदार, तलावडा स्वंय मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि से अपनीा कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थीगण यदि उक्त शर्तो की पालन करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावे अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्वतः ही जीवित माना जावें।

आदेश

अतः अपीलार्थीगण की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयताओं को राजकोष में नियमानुसार जमा करवाएगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, तलावडा को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेंगा। नायब तहसीलदार, तलावडा स्वंय मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थीगण यदि उक्त शर्तो की पालन करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावे अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्वतः ही जीवित माना जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम होवें तथा निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 15.11.21 को सरे इजलास सुनाया गया

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी(स0मा0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)